न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 01/2023
तारीख दायरा :– 16.02.2023

प्रार्थी :–

मदनसिह पुत्र गुलाबसिंह, जाति–राजपूत
निवासी– बागोल तहसील–देसूरी जिला–पाली(राजस्थान)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिला–पाली(राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील प्रदीपसिंह सोलंकी।
2– अप्रार्थी की ओर से – श्री कैलाश ईनाणिया तहसीलदार देसूरी पैरोकार सरकार।

–: निर्णय :– दिनांक– 10.4.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सरहद ग्राम बागोल, पटवार मण्डल देसूरी, तहसील देसूरी जिला पाली में खसरा नम्बर 210 रकबा 4.93 हेक्टर किस्म बा.दो., खसरा नम्बर 210/1595 रकबा 1.27 किस्म बा. दो. कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 6.20 हेक्टर कुल लगान 31 रूपये की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी एवं उसके भाई की विद्यमान थी। जिसमें प्रार्थी एवं उसके भाई प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा विद्यमान था।

प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का प्रार्थी व उसका भाई गजेन्द्रसिंह दोनों बराबर हिस्से के खातेदार होने से अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाना चाहा। तब पटवार हल्का बागोल द्वारा बंटवाडा तैयार किया गया जो सही होने से प्रार्थी व उसके भाई ने सहमति जाहिर कर बंटवाडा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर बंटवाडा को स्वीकार किया। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2073–76 एवं प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्ताव मय नक्शा की प्रति संलग्न है।

यह कि उक्त आपसी बंटवाडा होने से प्रार्थी व उसके भाई मदनसिंह के राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम हु[illegible] गई पृथक–पृथक जमाबंदी व नये खसरा ख.न. 1793/210 रकबा 0.62 [illegible]र, [illegible] 1794/210 रकबा 0.61 हेक्टर, ख.नं. 1795/210 रकबा 0[illegible]46 हेक्टर, ख.नं. 1797

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 17:36:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 2.47 हेक्टर बने, जो गलत दर्ज हो गये। चूंकि यह एक लिपिकिय भूल होने से लगत दर्ज हुए जिसे सुधारा जाना अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

यह कि लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत दर्ज होने से नक्शे में गलत तरमीम होने के कारण खसर नम्बर 1794/210 की जगह 1794/210 होने चाहिए थे। खसरा नम्बर 1796/210 की जगह 1794/210 एवं संयुक्त बेरा के खसरा नम्बर 210/3 होने चाहिए थे लेकिन लिपिकीय त्रुटि होने के कारण राजस्व नक्शे में गलत इन्द्राज हो गये है जिसे प्रार्थी को काफी असुविधा हो रही है। जिसे सुधारा जाना अतिआवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थी द्वारा अपनी जमाबन्दी एवं नक्शा की प्रति निकलवाने पर खसरा नम्बर देखने पर जानकारी में आया की नक्शे में गलत खसरा नम्बर दर्ज हो गये जिससे प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद दस्तावेजों के साथ पेश किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड को सुधारा जाकर सही खसरा नम्बर दर्ज एवं नक्शे मे तरमीम करने के आदेश तहसीलदार देसूरी को प्रदान करावें।

अप्रार्थी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थी एवं उसके भाई के आपसी बंटवाडा अनुसार नामान्तरण संख्या 1035 दर्ज किया गया जिससे प्रार्थी एवं उसके भाई के पृथक–पृथक खसरा जमाबंदी एवं खसरा नम्बर दर्ज हुए। मौके पर दोनों हिस्सा अनुसार ही काबिज है परन्तु लिपिकीय भूलवश राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय गलत खसरा नम्बर दर्ज हो गये, जो कि गलत है। पटवारी हल्का बागोल, भू–अ. निरीक्षक मगरलताब की जांच रिपोर्ट अनुसार नामान्तरण संख्या 1035 के नजरी नक्शा व मौका अनुसार उक्त तरमीम गलत हुई है जिसे सही किया जाना उचित है।

प्रकरण में प्रार्थी के भाई गजेन्द्रसिंह ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम दोनों भाईयो के आपस में बंटवाडा हो चुका है जो बंटवाडा की पत्रावली अनुसार सही है। जमाबंदी में भी सही अंकन है लेकिन राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरे नम्बर गलती से गलत दर्ज कर दिये गये है। जिसकी शुद्धि किया जाना आवश्यक होने से सहमत हूं। नक्शे में शुद्धि की जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व नक्शे में शुद्धिकरण के आदेश जारी किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस समायत की गई। पत्रावली राजस्व रिकॉर्ड मय प्रस्तुत दस्तावेजनों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से एवं बहस पर मनन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी एवं उसके भाई की संयुक्त खातेदारी भूमि सरहद ग्राम बागोल, पटवार मण्डल देसूरी, तहसील देसूरी जिला पाली में खसरा नम्बर 210 रकबा 4.93 हेक्टर किस्म बा.दो. खसरा नम्बर 210/1595 रकबा 1.27 किस्म बा.दो. कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल [illegible] हेक्टर भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाये जाने से नामान्तरण संख्या 1035 अनुसार प्रार्थी एवं उसके भाई के अलग–अलग जमाबंदी एवं खसरा नम्बर [illegible] 1794/210, 1795/210, 1796/210, एवं 1797/210 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए लेकिन लिपिकीय त्रुटि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 17:36:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

कारण राजस्व नक्शे में गलत तरमीम होने के कारण गलत खसरा नम्बर दर्ज हुए है। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित है। तहसीलदार देसूरी की प्रस्तुत अनुशंषा मय पैरा (2) के अनुसर मय नक्शा के मौका अनुसार व आपसी बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार तरमीम सही किये जाने की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः मौजा ग्राम बागोल के खसरा नम्बर 1793/210, 1794/210, 1795/210, 1796/210, एवं 1797/210 की तरमीम राजस्व नक्शा में ऑनलाईन गलत तरमीम होने से, गलत की गई तरमीम को तहसीलदार देसूरी द्वारा नामन्तरण संख्या 1035 के नजरी नक्शा व मौका स्थिति की अनुशंषा रिपोर्ट के अनुसार पैरा संख्या (2) में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1793/210, 1794/210, 1795/210, 1796/210, एवं 1797/210 को मौके अनुसार व आपसी बंटवाडा दस्तावेज अनुसार सही तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार देसूरी को निर्णय की सत्यापित प्रति तहरीर के साथ पालना हेतु भेजी जावें। तहसीलदार देसूरी को निर्देशित किया जाता है कि लठ्ठा नक्शा एवं (शीट) में गलत तरमीम की शुद्धि की जाकर राजस्व ऑनलाईन नक्शे में सही तरमीम की जावे एवं पालना रिपोर्ट बाद तरमीम न्यायालय हाजा को भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। नजरी नक्शा एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस निर्णय का भाग समझा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(देवयानी)RAS
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 10/4/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2023.08.03 17:36:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner